

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एल-125) अलेसे-I/5675-5679

दिनांक:- 10/03/25

आदेश

श्री लक्ष्मणसिंह पुरोहित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं0 2268) ने स्वयं के नाम परिवर्तन के लिए राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री लक्ष्मणसिंह पुरोहित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं0 2268) का नाम परिवर्तित कर, "लक्ष्मणसिंह पुरोहित" के स्थान पर "लक्ष्मणसिंह राजपुरोहित" करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।



(भूपेश माथुर)

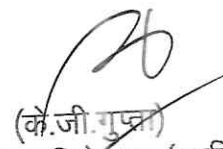
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एल-125) अलेसे-I/5675-5679

दिनांक:- 10/03/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
2. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक-1)
4. श्री लक्ष्मणसिंह राजपुरोहित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय कोषाधिकारी, बाडमेर।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।



(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)